राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
Directorate of Mines & Geology
खनिज भवन, उदयपुर – 313 001/Khanij Bhawan, Udaipur-313 001
दूरभाष – Phones : (0294) – 2415091-95 Exten. फैक्स/Fax : (0294)-2410526
emil - po@dmg-raj.org

क्रमांकः– निदे/प–5(8)2016–17/1066 उदयपुर, दिनांकः–31/8 /2016

खुली निविदा सूचना संख्या 2/2016–17

विभागीय परिसर में नव निर्मित भवन में वर्तमान में स्थापित EPABX ERICSSON BP-250 से कनेक्शन दिये जाने हेतु मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है । निविदा का अनुमानित मूल्य रू0 2.00 लाख है । निविदा की प्रति निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, खनिज भवन, शास्त्री सर्कल, राजस्थान, उदयपुर के कमरा नम्बर 236 से निविदा शुल्क रू0 200/– जमा करा कर प्राप्त की जा सकती है अथवा विभागीय वेबसाईट www.dmg-raj.org से डाउनलोड की जा सकती है।

निविदा की मुख्य शर्तें :–

1– निविदायें दिनांक 22.09.2016 प्रातः 11.30बजे तक बेंची जावेगी एवं मोहरबन्द निविदायें दिनांक 22–09–2016 को सायः 03.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी । प्राप्त निविदाओं को दिनांक 23–09–2016 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी, देरी से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।

2– निविदा के साथ ही बिड सिक्यूरीटी राशी के रूप में रू0 4,000/– जमा कराने होगें । यदि विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड निविदा प्रपत्र में निविदा भरी जा रही है तो निविदा शुल्क 200/–रूपये का डी.डी. अलग लगाना होगा।

3– अन्य शर्तें एवं कार्य का विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

अतिरिक्त निदेशक
(खान–मुख्यालय)

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
Directorate of Mines & Geology
खनिज भवन, उदयपुर – 313 001/Khanij Bhawan, Udaipur-313 001
दूरभाष – Phones : (0294) – 2415091-95 Exten. फेक्स/Fax : (0294)-2410526
e-mail – po@dmg-raj.org

निविदा प्रपत्र

1. निविदा संख्या :– 2/2016–17
2. निविदादाता का नाम एवं पता
   मैसर्स...
   ....
   ....

मैं/हम निम्नानुसार निविदा दरें प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

S.No	Name of Item	Quantity	Rate per Unit or per metre with all taxes
1.	Cabinet with motherboard compatible with Ericsson BP-250 EPABX	1	
2.	Analog line extension card for 16 ports compatible with Ericssion BP-250 EPABX	2	
3.	Telephone-20 pair MDF box with Krone	2	
4.	Telephone-20 pair Jelly cable	300 m.approx/actual use	
5.	Analog BasicTelephone	30	
6.	(i)Telephone-2 pair copper cable	As per requirement	
	(ii) PVC Casing		
	(iii)Laying charges with all material for item(i)&(ii) per metre cost		
7.	Installation & laying charges for item no. 1,2,3,4&5		

Note: Guarantee/Warrantee One year from the date of Installation .

(I) टिन नम्बर...

(II) सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर...

(III) बिड सिक्यूरीटी राशि रू0....................का डी.डी. / बेंकर्स चेक संख्या.........................दि0........ .... संलग्न है।

(IV) संलग्न अन्य दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है।

1..
2..
3..
4..

हस्ताक्षर निविदादाता

नामः

मोबाईल नम्बर / टेलीफोन न0

जस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
Directorate of Mines & Geology
खनिज भवन, उदयपुर – 313 001/Khanij Bhawan, Udaipur-313 001
दूरभाष – Phones : (0294) – 2415091-95 Exten. फैक्स/Fax : (0294)-2410526
e-mail – po@dmg-raj.org

निविदादाताओं के लिये आवश्यक निर्देश

1. निविदादाता निविदा भरने से पहले निविदा प्रपत्र को सावधानी पूर्वक पढ लें।
2. निविदा फार्म सही तरीके से प्रत्येक कॉलम की पूर्ति करते हुये भरा जाये किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं की जाये। निविदायें अंक और शब्दों दोनों में भरनी अनिवार्य हैं। अपूर्ण निविदा तथा सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा फॉर्म एवं उसके साथ संलग्न प्रत्येक दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को हस्ताक्षर करने अनिवार्य हैं।
3 कार्यादेश पूरे ग्रुप का जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। ग्रुप में जिस सामान की निविदा दर जिस निविदादाता की उचित होगी उस सामान का कार्यादेश उस निविदादाता को दिया जायेगा।
4. सामान की सप्लाई/कार्य निविदा प्रपत्र तथा कार्यादेश में दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा।
5– वित्त(जी.एण्ड टी.)विभाग,जयपुर के परिपत्र कमांक एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4–2–13 के परिपेक्ष में परिशिष्ठ ए,बी,सी,डी सलग्न किये जा रहे है। परिशिष्ठ ए,बी,डी की पूर्ति कर निविदा के साथ संलग्न करने होगें ।
6. निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगें:–
   - अ सेल्स टेक्स क्लीयरेन्स प्रमाण–पत्र दिनांक 31.03.2014 या उसके आगे का।
   - ब एस.एस.आई. की छूट लेने वाले निविदादाता को उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजियन प्रमाण पत्र।
   - स अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बेंकर्स चेक जो कि निविदा सूचना के अनुसार बनाया जायेगा।
   - द कार्यालय से प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर संलग्न करना।
7. चुंगी तथा एन्ट्री टैक्स लागू नहीं है परन्तु वेट लागू है। अतः निविदा उसी अनुसार भरी जाये। निविदा वेट सहित अंकित की जाये ।
8. निविदा की दरें जो आप द्वारा दी जा रही है वे 180 दिनों तक वेलिड मानी जायेगी।
9. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथी को अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस के नियत समय तक निविदा ली जायेगी। यदि निविदा खोलने की तिथी को अवकाश होता है तो आगामी कार्य दिवस के नियत समय पर निविदा खोली जायेगी।
10. निविदा खोले जाने पर चयनित निविदादाता को छोडकर शेष निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा कराई गई बिड सिक्यूरीटी राशि लौटा दी जायेगी। चयनित निविदादाता को परफोर्मेन्स सिक्यूरीटी,

निविदा राशि का 5 प्रतिशत जमा कराना होगा, अतः उसकी बिड सिक्यूरीटी राशि इसमें एडजस्ट कर ली जायेगी। चयनित निविदादाता यदि एस.एस.आई. पंजीकृत है तो परफोर्मेन्स सिक्यूरीटी, निविदा राशि का 1 प्रतिशत होगा।

11. निविदादाता के नाम,टेलीफोन नम्बर,टिन नम्बर तथा सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर निविदा में स्पष्ट रुप से अंकित करने होगें ।

12. क्रयादेश जारी करने की तिथी से 7 दिन में परफोर्मेन्स सिक्यूरीटी एवं 500/-रू0 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर जमा करा कर एग्रीमेन्ट कराना होगा। उक्त में से कोई भी कार्यवाही करने में असफल रहने पर चयनित निविदादाता की बिड सिक्यूरीटी राशि जब्त कर ली जायेगी।

13 आदेश दिये जाने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा कार्यादेश में दी गई अवधि से विलम्ब पर सामान आपूर्ति/कार्य सम्पादन करने पर निम्न स्लेब के अनुसार विलम्ब शुल्क चार्ज कर भुगतान किया जायेगा।

अ एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब – मूल्य का 2..5 प्रतिशत

ब एक चौथाई कालावधि अधिक परन्तु आधी कालावधि तक का विलम्ब – मूल्य का 5 प्रतिशत

स आधी कालावधि से अधिक परन्तु तीन चौथाई कालावधि तक का विलम्ब – मूल्य का 7.5 प्रतिशत

द तीन चौथाई कालावधि से अधिक का विलम्ब – मूल्य का 10 प्रतिशत

14. सप्लायर द्वारा सामान आपूर्ति के समय में वृद्धि चाहने के लिये सामान आपूर्ति की अंतिम तिथी से पूर्व आवेदन करना होगा, परन्तु इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

15. सामान सप्लाई करने की कार्यावधि को विशेष परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क सहित/रहित विभाग द्वारा बढाया जा सकेगा। उसका होने वाला व्यय उसके स्वयं द्वारा वहन किया जायेगा।

16. सामग्री की दर प्रति यूनिट सभी कर परिवहन,बीमा सहित/प्रति मीटर सहित अंकित करनी होगी । विभागीय सयुंक्त निरीक्षण कमेटी की देख रेख में आदेशित कार्य करना होगा। पूर्ण सामग्री का भुगतान विभागीय सयुंक्त निरीक्षण कमेटी (जिसकी देख रेख में कार्य किया जावेगा) के सामग्री के सत्यापन एवं सतोंषजनक तरीके से कार्य करने का प्रमाण दिये जाने के पश्चात ही किया जावेगा ।

17. विभाग न्यूनतम दर को मान्य करने हेतु बाध्य नहीं है तथा किसी टैंडर को अथवा टैंडर प्रोसेस को बिना कारण बताये रद्द करने हेतु अधिकृत होगा।

18. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा तथा न ही किसी प्रकार का ब्याज दिया जायेगा।

19. विभाग द्वारा चाहे जाने पर सामग्री का नमूना देना होगा ।

20. क्रय की समस्त कार्यवाही राजस्थान सरकार के RTPP Act & Rules व सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत की जा रही है ।

21. किसी प्रकार का विवाद होने पर क्षेत्राधिकार उदयपुर स्थित सिविल न्यायालयों का रहेगा।

क्रय अधिकारी 31/8/16